संख्या- 85 /2026/ 770 /चार-2026-1697349

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2026**

विषय- प्रदेश में शारदीय नवरात्रि की भांति महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिए चैत्र वासंतिक नवरात्रि-2026 के अवसर पर प्रदेश के चयनित मंदिरों में सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी के अवसर पर कराये जाने वाले संस्कृति कार्यक्रम पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4534/सं0नि0-15(36)/2025-26, दिनांक 27 फरवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि चैत्र वासंतिक नवरात्रि के अन्तर्गत शक्ति आराधना प्रदेश के निम्न 25 शक्तिपीठ स्थलों देवी मंदिरों पर देवी गीतों की परम्परा पर आधारित देवी गायन भजन का आयोजन माँ विन्ध्यवासिनी देवी (विंध्याचल), मीरजापुर, ज्वाला देवी सोनभद्र, सीता समाहित स्थल भदोही, अलोपी देवी प्रयागराज, कदवासिनी कौशांबी, पाटेश्वरी देवी देवीपाटन बलरामपुर, ललिता देवी (नैमिषारण्य) सीतापुर, शाकंभरी देवी सहारनपुर, कात्यायनी देवी मथुरा, माँ शीतला चौकिया धाम, जौनपुर बेल्हा देवी प्रतापगढ़, विशालाक्षी देवी वाराणसी, चंडिका देवी उन्नाव, देवकाली मंदिर औरैया, माँ तर्कुलहा देवी धाम गोरखपुर, माँ शीतला माता स्थल मऊ, ललिता देवी प्रयागराज, शिवानी देवी चित्रकूट, गायत्री शक्ति पीठ हमीरपुर, बैरागढ़ माता, कोंच जालौन, कुष्माण्डा देवी, घाटमपुर कानपुर देहात, शीतला माता मंदिर मैनपुरी चामुण्डा माता मंदिर फिरोजाबाद, चंद्रिका देवी मंदिर एवं संकटा देवी मंदिर लखनऊ आदि में सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी (25, 26 एवं 27 मार्च 2026) के अवसर पर कराया जाना है। उक्त स्थलों पर प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागी कलाकारों के मानदेय एवं कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय का विवरण निम्नवत् उपलब्ध कराया गया हैः-

क्र0	कार्य	अनुमानित व्यय	अभ्युक्ति
1	कलाकारों का मानदेय एवं यात्रा व्यय	45000X3X25 **33,75,000/-**	25 स्थलों पर 03 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं उनके यात्रा व्यय पर शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार किया जाना प्रस्तावित है।
2	वॉलिन्टियर पर व्यय	1000 X25 X3 **75,000/-**	25 स्थलों पर 03 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों से समन्वय कर सांस्कृतिक प्रस्तुति कराने हेतु।
3	कार्यक्रम की प्रस्तुति संबंधी अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय	15000 X25 **3,75,000/-**	चयनित मंदिरों में नवरात्रि के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों हेतु रू0 5000/- प्रति मंदिर की दर से 03 दिवसीय कार्यक्रम की व्यवस्थाओं यथा-स्टैण्डी, बैकड्राप, दरी बिछावन, साउण्ड आदि पर व्यय।
4	अभिलेखीकरण	**25,000/-**	25 मंदिरों में 03 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की वीडियो, फोटोग्राफी एवं कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त अभिलेखीकरण का कार्य।
		38,50,000/-	**(रूपये अड़तीस लाख पचास हजार मात्र)**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार प्रदेश में शारदीय नवरात्रि की भांति महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिए चैत्र वासंतिक नवरात्रि-2026 के अवसर पर प्रदेश के चयनित मंदिरों में सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी के अवसर पर कराये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु **रू0 38.50 लाख (रूपये अड़तीस लाख पचास हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(1) उपर्युक्त प्रस्तावित आयोजन स्थलों में **बीहड़ माता मंदिर जनपद फिरोजाबाद** को सम्मिलित कर कार्यक्रम कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। तद्नुसार परिणामी वित्तीय स्थिति सहित अनुमोदित है।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(9) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय -13- आजादी का अमृत काल महोत्सव - 42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या- /2026/ 770 (1) /चार-2026-1697349 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in